दिनांक 17 मार्च, 1983

क्रमांक 207-ज-I-83/9381.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जागे राम, पुत्र श्री हरि सिंह, गांव नकलोई, तहसील व जिला सोनीपत, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपए वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 66-ज-I-83/9385.--हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 29 नवम्बर, 1977 को प्रकाशित हुई अधिसूचना क्रमांक 1687-ज-I-77/29613, दिनांक 24 नवम्बर, 1977 जिसके द्वारा श्रीमती जोगिन्द्र कौर, विधवा श्री नन्द सिंह, गांव गणेशपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की जागीर मन्सूख की गई थी, वापिस ली जाती है ।

दिनांक 22 मार्च, 1983

क्रमांक 267-ज(II)-83/9941.--श्री हरदयाल सिंह, पुत्र श्री देवा राम, गांव देरी, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरदयाल सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2602-ज-I-75/31095, दिनांक 16 अक्तूबर, 1975 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मनकोरी के नाम रबी, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपए वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 266-ज(II)-83/9947.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री भगड़ावत सिंह, पुत्र श्री कालु सिंह, गांव राजगढ़, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

दिनांक 23 मार्च, 1983

क्रमांक 248-ज(II)-83/10136.--श्री बिहारी, पुत्र श्री सीता राम, गांव सैदपुर, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 27 नवम्बर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बिहारी को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7701-ज(II)-66/15004, दिनांक 27 जून, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मोहरली के नाम खरीफ, 1979 के लिए 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

दिनांक 31 मार्च, 1983

क्रमांक 329-ज(II)-83/11107.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री जगन सिंह चौहान, पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, गांव रातेरा, तहसील बवानी खेड़ा, जिला भिवानी, को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।